यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, किच्छा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, किच्छा के माह 03.2012 से 07.2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 08.08.2018 से 13.08.2018 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

<u>भाग</u>-।

1). परिचयात्मकः इस इकाई की आहरण वितरण अधिकार प्रदत्त किए जाने के उपरान्त प्रथम लेखापरीक्षा है। जिसमें माह 03/2012 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई द्वारा रोजगार परक व्यवसायो जैसे स्विंग टेक्नोलाजी, वेल्डर, प्लंबर आदि मे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा कौशल दक्षता हेतु निकटवर्ती स्थानो मे विभिन्न कम्पनियो/ प्रतिष्ठानो मे सम्पर्क कर अप्रेंत्सिप हेतु भेजा जाता है। इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र मे किच्छा क्षेत्र शामिल है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
		स्थापना	गैर- स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
1	2013-14	0.00	0.00	20.80	17.98	3.79	3.79	-	2.82
2	2014-15	0.00	0.00	22.22	21.74	6.64	5.35	-	1.77
3	2015-16	0.00	0.00	24.22	23.47	4.43	3.80	-	1.38
4	2016-17	0.00	0.00	32.01	31.87	7.90	7.03	-	1.02
5	2017-18	0.00	0.00	41.71	40.02	7.97	7.55	-	2.10
6	2018-19	0.00	0.00	40.68	14.60	8.27	4.47	-	-

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक आवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति(आवंटन)	विविध प्राप्तियाँ(ब्याज आदि)	कुल प्राप्ति	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). प्रमुख सचिव, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन , उत्तराखंड, देहरादून

b). निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

c). अपर निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

d). उप निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

e). प्रधानाचार्य, राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, किच्छा

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 03.2012 से 07.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, किच्छा** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी । यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, किच्छा** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06.2018, 09.2016 एवं 02.2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया । प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'ब'

प्रस्तर:-1- नयी अंशदायी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के शिथिलता का प्रकरण पाया जाना।

उत्तराखण्ड मे राज्य कर्मचारियो के लिए "अंशदायी पेंशन योजना" शासनादेश 21/xxvii/अ.पे.यो./2005, दिनांक 25.10.2005 द्वारा दिनांक 01.10.2005 लागू की गयी। अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत वेतन (बेसिक+ ग्रेड पेय) तथा मँहगाई वेतन /महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत धनराशि की कटौती कर्मचारी के वेतन से मासिक अंशदान के रूप मे की जाएगा। जिसके सापेक्ष समतुल्य धनराशि नियोक्ता/राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी के पेंशन टियर-1 प्राण खाता मे जमा किए जाने का प्रावधान था। अंशदायी पेंशन योजन हेतु कर्मचारी के वेतन से अंशदान की कटौती नियुक्ति तिथि के अगले माह से किया जाना अनुमन्य था। इसी क्रम मे शासनादेश संख्या 643/XXVII(7)/अ.पे॰यो॰/2010, दिनांक 11.08.2010 के अनुसार कोषागार को निर्देशित किया गया था कि कार्मिको को CRA से PRAN आवंटित होने के बाद ही अंशदान की कटौती प्रारम्भ की जाएगी।

कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान किच्छा के नयी अंशदान पेंशन योजना संबन्धित अभिलेखो कि जांच के उपरांत पाया गया कि कार्यालय मे कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारी/अधिकारी के वेतन से 1 वर्ष विलम्ब से कटौती प्रारम्भ की गयी थी जिस कारण संबन्धित कर्मचारियो को नयी पेंशन योजना का लाभ नही प्राप्त हुआ साथ ही उक्त अवधि मे संबन्धित कर्मचारियो के वेतन से कटौती नही किए जाने के कारण नियोक्ता का अंशदान भी जमा नही किया जा सका।

इस संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुये उत्तर मे बताया कि कोषागार द्वारा समय-समय पर प्ररूपों मे परिवर्तन होने के कारण समय से PRAN आवंटन हेतु आवेदन नही किया जा सका। भविष्य मे इस प्रकार की पुनरावृति से बचने का प्रयास किया जाएगा।

उत्तर मान्य नही हैं क्योंकि इकाई की उदासीनता के कारण कर्मचारी को नयी पेंशन योजना से लाभान्वित नही किया जा सके।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर:1- रु 1.47 लाख की व्यय में पारदर्शी प्रक्रिया की कमी पाया जाना ।

कार्यालय प्रधानाचार्य आईटीआई, किच्छा उधमसिंह नगर की लेखापरीक्षा में क्रय पत्रावली की जांच की गई जिसमें पाया गया की वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखाशीर्ष 2230-03-003-02-01 के अंतर्गत मद सं-46-कम्प्यूटर हार्डवेर/सॉफ्टवेर के तहत आवंटित राशि रु 1.47 लाख थी। इकाई के तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी का प्रभार डीडीओ आईटीआई काशीपुर के अंतर्गत पाया गया तथा क्रय प्रक्रिया आईटीआई काशीपुर द्वारा पूरी कर आईटीआई किच्छा को हस्तगत की गई। इस प्रकार बिल/वाउचर के हस्तांतरण के आधार पर लेखापरीक्षित इकाई द्वारा स्टॉक प्रविष्टि की गई। आगे पाया गया की लेखापरीक्षित इकाई में वर्ष फरवरी 2016 से ही भण्डारी नियुक्त होने के बावजूद आईटीआई काशीपुर में तैनात भण्डारी की सेवा, क्रय प्रक्रिया में ली गई तथा व्यय की पारदर्शिता को प्रभावित करने का प्रकरण पाया गया। वित्तीय नियमावली के अनुसार गठित क्रय समिति द्वारा मार्केट सर्वे रिपोर्ट, तथा इस आशय का प्रमाणपत्र कि सामाग्री गुणवत्तायुक्त तथा बाज़ार दर के अनुकूल है, अनुपलब्ध पाया गया। साथ हीं सामग्री के Specification, गारंटी-वारंटी तथा Installation Charges को बिना ध्यान में रखे निर्मित तुलनात्मक चार्ट के अनुसार निम्नतर दर के आधार पर निर्णय किया जाना पाया गया।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि कम्प्यूटर के क्रय हेतु नोडल संस्थान स्तर पर प्रॉक्यूरमेंट नियमावली उत्तराखंड के अनुसार संस्थान में पंजीकृत फ़र्म से सीमित निविदा प्राप्त कि गई।

उत्तर मान्य नहीं, उक्त इकाई पृथक डीडीओ होने के कारण कार्यालयीन लेन-देन में संबन्धित इकाई की कर्मी की सेवा न लेकर अन्य संस्थान से सेवा प्राप्त करना नियम-संगत नहीं पाया गया। सीमित निविदा की भी प्रणाली नियम-संगत नहीं अपनायी गई क्योंकि प्रॉक्यूरमेंट रूल 2008 के नियम-6(1) के अनुसार DGS&D से अनुमोदित आपूर्तिकर्ता को पंजीकृत आपूर्तिकर्ता कहा जाएगा। परंतु, इकाई ने जिन फर्मों से कोटेशन प्राप्त की उनके दस्तावेज़ से पुष्टि नहीं हुई की फ़र्म DGS&D से अनुबंधित थे ।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	TAN
----------प्रथम लेखापरीक्षा----------				

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, किच्छा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री जसवंत सिंह जलाल	प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ किच्छा	03.2012 से 13.07.2017 तक
श्री अनिल कुमार त्रिपाठी	प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ किच्छा	13.07.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, किच्छा** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.